प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक 16.06.2024

"सोनभद्र पुलिस की अविराम कार्यवाही"

हिण्डालो रेनूकूट का गबन किया हुआ माल एल्यूमिनियम इंगट वजन 20180 KG शतप्रतिशत गौतमबुध्द नगर उ0प्र0 से मय प्रयुक्त वाहन 03 अदद ट्रक बरामद व अन्तर्राज्जीय 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व जामातलाशी से 02 अदद मोबाइल व 7500/- रूपये नगद-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.2024 को थाना पिपरी पर प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र हुआ कि हिण्डालको कम्पनी का माल एल्यूमिनियम कुल भार 20180 KG कीमती 7659389.52/- रूपया जो वाहन संख्या PB13BG5837 पर लोड कर हिण्डालको रेनूकूट से लुधियाना भेजा गया था, एल्यूमिनियम को रास्ते में वाहन स्वामी की साजिश से वाहन चालक द्वारा गायब कर दिया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2024 धारा 407 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग के अनावरण, अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा क्षेत्राधिकारी पिपरी के निर्देशन में SOG/सर्विलांस तथा थाना पिपरी की संयुक्त गठित टीम की गयी। जिस क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 13.06.2024 को समय करीब 12.40 बजे 02 नफर अभियुक्तगण को थाना क्षेत्र सेक्टर 24 जिला गौतमबुध्द नगर उ0प्र0 से गिरफ्तार कर सम्पूर्ण माल की शतप्रतिशत बरामदगी कर गौतमबुध्द नगर स्थित मा0 न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर माल व मुल्जिमान को जनपद सोनभद्र लाया गया। गिरफ्तारी व वरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 411,419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

टीम वर्क

उक्त अभियोग के अनावरण व माल बरामदगी हेतु गठित टीम द्वारा भौतिक तथा मुख्य रूप से इलेक्ट्रानिक अभिसूचना पर गहनता से कार्य करते हुए वाहनो के स्वामी व चालक तथा माल लोड कराने वाले ब्रोकर के नम्बरो को पूर्ण मनोयोग से विश्लेशण करते हुए उपरोक्त लोडिंग व गन्तव्य स्थल पर माल ले जाने की प्रक्रिया से असम्बद्ध व्यक्ति जसवीर सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी भटी डाक घर घोड़ेवाढ़ थाना कहानुबान जिला गुरदासपुर पंजाब का नम्बर कामन पाते हुए पूरी प्रक्रिया को विश्लेषित किया गया तो घटना में संलिप्त 02 नफर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया जिसमें ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी F-10 गली नं0-29 मधु बिहार, थाना मधु बिहार, दिल्ली की मदद से उक्त माल को गबन कर बेंचा गया था। उपरोक्त मुकदमें सें सम्बन्धित 05 नफर अभियुक्त एंव एक अदद ट्रक वाछिंत चल रहे है जिनकी शीध्र गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी F-10 गली नं0-29 मधु बिहार थाना मधु बिहार, दिल्ली।

2.जसवीर सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी भटी डाक घर घोड़ेवाढ़ थाना कहानुबान, जिला गुरदासपुर, राज्य पंजाब।

बरामदगी का विवरणः-

1.माल एल्यूमिनियम इंगट कुल 20180 KG (कीमत रू 7659389.52 रुपये)।

2.ट्रक नं0 DL1L AH 6970।

3.ट्रक नं0 DL1LAB4718।

4.पिकअप DL1LY7291।

5.जामातलाशी से 02 अदद मोबाइल व 7500/- रूपये नगद।

वाछिंत अभियुक्तगण एंव वाहन-

1.परमजीत सिंह छाबड़ा पुत्र स्व0 बलवन्त सिंह निवासी हाउस नं0- 100 गुरुनानक पुरा मोहल्ला जोड़ा फाटक रोड़ पोस्ट धनसार जिला धनबाद झारखण्ड।

2.मो0 आशिफ उर्फ छोटू कबाड़ी पुत्र मुस्तफा निवासी – ई 376 बी – ब्लाक इ न्यु अशोक नगर थाना अशोक नगर नई दिल्ली।

3.मो0 खालिद पुत्र नासिर हुसैन निवासी मकान नं0- 1212 धोबी वाली गली किला भट्ठा जनपद गाजियाबाद।

4.वाहन संख्या - PB 13 BG 5837 चालक मनदीप सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बसराई पो0 कादियान , बटाला पंजाब।

5.वाहन संख्या - PB 13 BG 5837 का स्वामी चमकोर सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम तुगलवाला सदर गुरदासपुर गुरदासपुर पंजाब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः..

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह, थाना पिपरी सोनभद्र

2. उ0नि0 श्री कमलनयन दुवे, चौकी प्रभारी रेनूकूट थाना पिपरी सोनभद्र।

3. हे0का0 अनिल कुमार थाना पिपरी सोनभद्र।

4. हे0क0 योगेन्द्र यादव, चौकी रेनूकूट थाना पिपरी सोनभद्र।

5. हे0का0 संजय वर्मा, थाना पिपरी सोनभद्र।

6. हे0का0 सौरभ कुमार राय (सर्विलांस सेल) सोनभद्र।